दर्ज 19/07/24

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 138 / 2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2024 / 173
दायर दिनांक :– 19.07.2024 **निर्णय दिनांक :–** 18.07.2025

1. जेठाराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी खेंगासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. अनाराम पुत्र नाराराम जाति जाट निवासी आउ तहसील आउ जिला फलोदी
3. पुनाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी आउ तहसील आउ जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 761 / 4 रकबा 3.2375 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 761 / 2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर सरहद मौजा खेंगासर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। इसी अनुसार ही मौके पर प्रार्थी की रहवासीय ढाणी, पानी का टांका एवं पशुओं के लिये बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करता आ रहा है तथा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार ही प्रार्थी ने पत्थर के खूंटे रोपकर तारबंदी कर रखी है। लेकिन वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना के तहत पटवारी हल्का ने बिना किसी विधिक आदेश के ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के कब्जा व काश्त के विपरित तरमीम कर दी जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। प्रार्थी ने उक्त भूमि की तरमीम करवाने हेतु कभी भी किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश नहीं किया था। इसलिए प्रार्थी ग्राम खेंगासर पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 761 / 4 रकबा 3.2375 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 761 / 2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में की गई विधि विरूद्व तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त की तरमीम करवाने का अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना–पत्र पेश है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश किया जा रहा है। जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार घंटियाली ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम खेंगासर पटवार क्षेत्र चाखू तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 761/4 रकबा 3.2375 तथा खसरा नम्बर 761/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर की तरमीम ऑनलाईन भू–नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आराजी खसरान् की पूर्व तरमीम नक्शा लट्ठा में किस प्रकार अंकित थी। विवादग्रस्त खसरान की तरमीम को किस प्रकार दुरूस्त किया जाना है इस संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट में वर्तमान भू–नक्शा की तरमीम एवं कब्जा काश्त की तरमीम में भिन्नता का स्पष्ट नजरी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी ने भी प्रार्थना पत्र के संलग्न कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि वर्तमान तरमीम कब्जा काश्त से भिन्न भू–नक्शा में सेग्रीकेशन योजना के तहत अंकित की गयी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

18/7/25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)